

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

संबंधित सिविल सर्जन, झारखण्ड।
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

/स्वा०, राँची, दिनांक: 29/01/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यय हेतु मांग संख्या-20 स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी 103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 21-पीओएचसीओ/एओपीओएचसीओ के अन्तर्गत कुल ₹ 4,90,28,000/- (चार करोड़ नब्बे लाख अठाइस हजार) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन संलग्न Online आवंटन विवरणी के आधार पर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है:-

क्रमांक	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या-20/2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी	103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/21-पीओएचसीओ/एओपीओएचसीओ	₹ 4,90,28,000/- (चार करोड़ नब्बे लाख अठाइस हजार)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 एवं 1800(वि) दिनांक 15.07.2003 तथा 1681/वि० दिनांक 10.06.15 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित सिविल सर्जन (संलग्न विवरणी के अनुसार) होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगे। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगे कि विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एनओएचओएमओ से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग-अलग रखेंगे।

(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

7. आवंटित राशि का व्यय विवरणी स्वास्थ्य केन्द्रवार अगले माह सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिक व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सतर्कता बरती जाय एवं कर्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय।

11. वित्त विभागीय पत्र संख्या- 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित्त विभाग के पत्र संख्या- 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

12. क्रय संबंधी सभी कार्य वित्त विभागीय निदेशों के अनुरूप यथा नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

13. सभी सिविल सर्जन के द्वारा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से संबंधित उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या के संबंध में कार्यरत कर्मियों की संख्या विवरणी के आंकड़ों की वित्त विभाग के COBT - Form 3A में की गई प्रविष्टि के आधार पर वित्त विभाग के द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुरूप ही विभाग द्वारा आवंटन निर्गत किया जा रहा है। अतः COBT - Form 3A के प्रपत्र में अंकित कर्मियों के विवरणी के अनुरूप ही इस आवंटन का व्यय किया जाए।

यदि इस वित्तीय वर्ष में नई नियुक्ति की गई हो तो Form 3A में सूचना विभाग को सूचनाएँ उपलब्ध कराया जाए ताकि अनुपूरक बजट के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों के वेतनादि के लिए राशि की व्यवस्था की जा सके।

14. वित्त विभागीय पत्र संख्या- 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित्त विभाग के पत्र संख्या- 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटित राशि की निकासी के लिए निम्नांकित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :-

- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रत्येक माह के 20 तारीख से अगले माह के 20 तारीख तक की अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर प्रत्येक माह वेतन का विपत्र तैयार कराएंगे।
- वेतन की ससमय निकासी नहीं होने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि Ghost Employee/अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतन की निकासी नहीं हो। ऐसे किसी अवैध निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- वेतन मद की राशि से 15.11.2000 के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाए।

71(7)ब
29/01/2026

(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

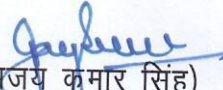
(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

16. विभागीय पत्रांक - 20(7) दिनांक 15.04.2025 के आलोक में संबंधित जिले के सिविल सर्जन स्थापना व्यय बजट अन्तर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए आवंटित राशि को उनके प्रभारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपआवंटित करने की कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

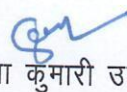

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

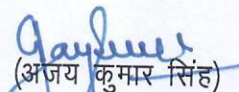
ज्ञापांक-7/स्थापना व्यय-आवंटन-02/2023 71(7) व / स्वा0, राँची, दिनांक- 29/01/2026
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-7/स्थापना व्यय-आवंटन-02/2023 71(7) व / स्वा0, राँची, दिनांक- 29/01/2026
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव


(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पूर्व में निर्गत आवंटन की विवरणी

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	पूर्व में आवंटित राशि	आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	वेतन	3568758500	49028000	3617786500
	कुल	3568758500	49028000	3617786500

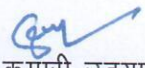
आवंटन का सारांश

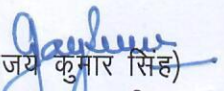
क्रमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	वेतन	20S22100310321000101	49028000
	कुल आवंटित राशि ₹ 4,90,28,000 /- (चार करोड़ नब्बे लाख अठाइस हजार)		49028000

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

क्रमांक	जिला का नाम	वेतन	कुल
1	Chaibasa	11386000	11386000
2	Koderma	37642000	37642000
	Grand Total	49028000	49028000


(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव


(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

71(7) ब
29/01/2026

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

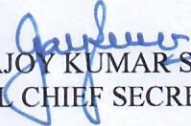
माँग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 03 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र & 21 - पी०एच०सी०/ए०पी०एच०सी०

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100310321000101	Total
					वेतन	
1	2	3	4	5	6	7
1	Singhbhum West	SGHMED075	Bharti Gorreti Minz	Civil Surgeon Cum C.M.O.Cbsa	₹1,13,86,000.00 (86877)	₹1,13,86,000.00
2	Koderma	KDMMEDA09	Anil Kumar	C.S Koderma	₹3,76,42,000.00 (86878)	₹3,76,42,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹4,90,28,000.00 (चार करोड़ नब्बे लाख अठाइस हजार) रूपये मात्र।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए


(AJAY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

71(7) ब

29/01/2026